



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651-2400850

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या : B-21.....

राँची, दिनांक : 16/8/13.....

पर्षद मंडल की 26 वीं बैठक दिनांक 06.04.2013 के कार्यवली संख्या 6 में लिए गये निर्णय एवं NOC Expert की बैठक दिनांक 09.01.2013 (पर्षद झापांक - जी 143, दिनांक 09.01.2013) में लिये गये निर्णय के आलोक में पूर्व में निर्गत NOC Guideline में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :-

1. Green Category Units को NOC प्राप्त करने के छूट की सीमा पूर्व में पर्षद की अधिसूचना संख्या -22, दिनांक 22.03.2005 के द्वारा Plant & Machinery या Investment की राशि २० 10 लाख तक थी, को बढ़ा कर २० 50 लाख किया जाता है। उक्त राशि की गणना सिर्फ मशीनरी के लागत पर लागू है, इसमें जेनरेटर का खर्च (50 KVA तक) सम्मिलित नहीं है। अन्य शर्त पूर्ववत् रहेंगे।
2. 50 KVA तक के इमता वाले D.G. Set (with adequate acoustic enclosure) जिनकी लागत २० 50 लाख तक हो को पर्षद की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मोबाईल टावर के NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ववत् वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश पत्र संख्या -03/पर्या0 प्रदू0-05/11-1416, दिनांक 15/04/2011 से निरूपित होगी।
3. Orange Category Units जो पूर्व में Orange Special Category Part D, Orange Special Category part E, Orange Ordinary Category part F तीन भाग में विभक्त थे सभी को Orange Category नामित करते हुए Guideline निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

Sl. No.	Minimum distance from	Distance
1.	NH	- 100 Mtr
2.	SH	- 100 Mtr
3.	Dist Metal Road	- 50 Mtr
4.	Railway Line	- 100 Mtr
5.	River	- 100 Mtr
6.	Any Other River	- 100 Mtr
7.	Habitation	- 200 Mtr
8.	Forest/ Forest Land	- 400 Mtr

यह अधिसूचना आदेश निकलने की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

झापांक :

राँची, दिनांक :

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/ सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार राँची/निदेशक उद्योग, झारखण्ड राँची / मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड राँची/ अध्यक्ष, झारखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स, राँची को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

झापांक : B-4708

राँची, दिनांक : 16/8/13

प्रतिलिपि - 1. सभी शाखा प्रधान (मु0)/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

H/S